न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
5/03	25.02.2025	16.01.2026

बउनवान

01. शिवलाल पुत्र दुर्गा राम जाति खटीक निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत बीजवाड पंचायत समिति मालाखेडा जरिये सरपंच

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध विरासत इन्तकाल संख्या 781 दिनांक—11.03.1991 ग्राम पंचायत बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर

निर्णय

वकील अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध तहत अदालत ग्राम पंचायत बीजवाड निर्णय दिनांक 11.03.1991 नामान्तकरण संख्या 781 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि हाल खाता नम्बर 426 खसरा नम्बर 319 रकबा 0.29 है0 चाही3, 320 रकबा 0.11 है० चाही3, 321 रकबा 0.11 है० चाही3, 322 रकबा 0.60 है० चाही3, कुल किता 4 कुल रकबा 1.11 है० मे से 1/8 हिस्सा तथा खाता सख्या 326 खसरा नम्बर 1840 रकबा 0.76 हैक्टेयर चाही कुल किता 01 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर मे से 73/5400 हिस्सा तथा खाता संख्या 324 खसरा संख्या 1846 रकबा 0.10 है0 गै.मु. रास्ता मे से 73/5400 हिस्सा वाके ग्राम बीजवाड तहसील तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० में स्थित है। उक्त आराजी का अपीलार्थी के पिताजी की मृत्यु के बाद अपीलार्थी के नाम नामान्तरण खोलते समय ग्राम पंचायत बीजवाड द्वारा इंतकाल संख्या 781 दिनांक 11.03.1991 को अपीलार्थी के पिता के वारिसान के नाम में त्रुटीपूर्वक जानकारी के अभाव में अपीलार्थी का नाम टीटी पुत्र दुर्गा दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी का सही व वास्तविक दस्तावेजों में नाम शिवलाल पुत्र दुर्गा जाति खटीक निवासी बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० है। अपीलार्थी ने उक्त आराजी की जमाबन्दी की नकल किसान कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाईन निकलवाई तो अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में नाम टीटी पुत्र दुर्गा दर्ज है, जो गलत है। अपीलार्थी ने टीटी पुत्र दुर्गा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम शिवलाल पुत्र दुर्गा जाति खटीक निवासी बीजवाड संसोधित किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट जरिए रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या—1 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शिवलाल उर्फ टीटी पुत्र दुर्गा राम जाति खटीक निवासी ग्राम/पो. बीजवाड नरूका, तहसील मालाखेडा दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।

पत्रावली में तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1627 दिनांक—03.12.2025 में अवगत कराया है कि :—

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

मौका पर्चा दिनांक 28.11.2025 के अनुसार मौके पर उपस्थित मौतविरान ने बताया है कि शिवलाल पुत्र दुर्गाराम जाति खटीक निवासी बीजवाड का बोलता नाम टीटी पुत्र दुर्गा है। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया। मुताबिक प्रार्थी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम शिवलाल पुत्र दुर्गाराम है। राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम में किसी प्रकार की कोई गलती /अशुद्धि नहीं पाये जाने के कारण संदर्भित प्रकरण राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती का नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए इंतकाल की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने तक के समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत मुजरा किया जाकर अपील स्वीकार करने का कथन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा विवादित इंतकाल संख्या 781 दिनांक–11.03.1991 का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा मियाद अवधि के बाहर अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कन्डोन किया जाता है। अपीलांट द्वारा तहत ग्राम पंचायत बीजवाड द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक–11.03.1991 इंतकाल संख्या–781 में अपीलांट का नाम गलत दर्ज होना अंकित किया है। तहत अदालत को आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट के वारिसान के नाम की पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु तहत अदालत ने वारिसान के नामो की विस्तृत जांच किए बिना ही आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया अपीलांट की हद तक अपास्त योग्य है।

अतः तहत अदालत ग्राम पंचायत पारित आलोच्य आदेश दिनांक–11.03.1991 इंतकाल संख्या–781, ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट के सही नाम की विधिक जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेडा को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)